सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Information Technology & Communication

क्रमांकः प.2(1725)डीओआईटी/संस्था/13/I/12335/2013 जयपुर, दिनांक : 17-10.13

परिपत्र

राजस्थान राज्य कम्प्यूटर संवर्ग के राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए बिना सक्षम स्वीकृति किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहना नियमानुसार नहीं है। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे बिना सक्षम विभागीय स्वीकृति के अध्ययन जारी न रखें।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो नियमित या दुरस्थ (पत्राचार) पाठ्यक्रम में अध्ययन करना चाहते हैं, वो इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को प्रस्तुत करें। विभाग प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अध्ययन की स्वीकृति पर निर्णय लेगा। विभाग द्वारा यदि अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अवकाश हेतु भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अवकाश के लिए कर्मियों को पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अवकाश हेतु आवेदन करने मात्र से अवकाश स्वीकृत नहीं समझा जाये। अवकाश की सक्षम स्वीकृती जारी हो जाने के पश्चात ही अधिकारी/कर्मचारी अवकाश का लाभ ले सकेंगे। EOL अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग में ही निहित है। कार्यालयाध्यक्ष/नियन्त्रण अधिकारी इस प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं है। EOL हेतु समुचित माध्यम से आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग को आवेदन प्रस्तुत करें। परिवीक्षा अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रति माह एक आकस्मिक अवकाश तथा सम्पूर्ण परीवीक्षा अवधि में कुल 90 दिवस की EOL ही देय है।

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के पाठ्यक्रम जारी रखा जाता है या नवीन पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है या बिना स्वीकृति अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

शासन सचिव एवं आयुक्त

अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पद
4. जन्म दिनांक
5. राजकीय सेवा मे प्रथम नियुक्ति दिनांक
6. नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता
7. वर्तमान पदस्थापन विभाग, स्थान एवं दिनांक
8. नाम परीक्षा/कोर्स/सेमेस्टर जिसके लिए अनुमति चाही जा रही है
9. पूर्व में यदि कोई अनुमति ली गई हो तो आदेश संख्या मय दिनांक तथा उस क्रम मे प्रविष्ट परीक्षा की अंक तालिका
10. शिक्षण संस्था का नाम
11. शिक्षण संस्था की वेबसाईट का पता
12. Enrollment नम्बर
13. परीक्षा का संभावित माह (यदि सम्भव हो तो परीक्षा समय सारणी)
14. अध्ययन का प्रकार (स्वयंपाठी/पत्राचार)
15. अन्य विवरण यदि कोई हो तो